न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 02/2014
GCMS NO. : 2014/0016

–:: प्रार्थी ::– बनाम –:: अप्रार्थीगण ::–

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
1. चौथाराम पुत्र लालाराम जाति– मेघवाल, निवासी– ढाणी निम्बैटी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।	1. कैलाशराम पुत्र मोहनलाल
2. छोटी देवी पत्नि मोहन जाति– मेघवाल, निवासी– ढाणी निम्बैटी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।	2. पप्पुराम पुत्र मूलाराम
	3. ओमप्रकाश पुत्र लालाराम
	4. लालाराम पुत्र मूलाराम
	5. बाबूराम पुत्र मूलाराम
	6. मोहन पुत्र पूरखाराम
	7. मूलाराम पुत्र रामाजी जातियान– माली निवासीगण– आयन्दा भाटा, तहसील– जैतारण, जिला पाली राज0।
	8. तहसीलदार, जैतारण।
	9. पटवारी, पटवार हल्का रास प्रथम तहसील– जैतारण जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 02/01/2014**

उपस्थितः. 1. श्री हरि ओम पारिक, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 17/11/2020**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम रास प्रथम में पटवार हल्का रास प्रथम में खसरा नम्बर 1489 व 1489/2, रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 1489/1 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 1489/3 रकबा 0–13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल आई हुई। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपी प्रार्थना–पत्र के साथ पेश हैं। जो इसका एक भाग माना जावें तथा उक्त कृषि भूमि को हम प्रार्थना पत्र के मुतादावीया आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सायलान अनपढ़ होने के कारण राजस्व नक्शे में स्वयं की कब्जा काश्त की खातेदारी जमीन का माप एवं सीमांकन करवा कर राजस्व नक्शों में तरमीम नहीं करवाई। गैर सायलान संख्या 1 से 7 तक सायलान के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर पक्के इमारत [illegible] निर्माण कार्य करवा रहे है। सायलान स्वयं की खातेदार की कृषि भूमि का [illegible] बाउण्ड्री के बंटवाड़ा करवा कर नक्शे में तरमीम करवा कर खाता अलग [illegible] चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 13:05:14 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए दावा तकारस्मा का पेश है व लगान किया जावें। सायलान की कब्जे काश्त में गैरसायलान संख्या 1 से 7 तक द्वारा सायलान को बेदखल कर उसकी कब्जा सुदा कृषि भूमि पर पक्का निर्माण करवाना चाहते है। सायलान ने इस सम्बन्ध में तहसीलदार, जैताण की एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 17.12.2013 को दी, किन्तु पटवारी ने कोई नाप चौप नहीं किया गया है और न ही बंटवाड़ा के कागजात् तैयार किये गये। गैरसायलान संख्या बल में अधिक होनें के कारण बाहूबल के आधार पर सायलान की कब्जे काश्त में एवं खातेदारी की जमीन में पक्के निर्माण कार्य कर रहे है। जिससें लड़ाई झगड़ा व टन्टा फिसाद होगा व दावे की बहुलता होगी। सायलान की बार बार खर्चे से जैर बार होना पड़ेगा। इसलिये सायलान के हक तकारस्मा व अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री खिलाप गैरसायलान के जारी की जावें व सायलान के कब्जे काश्त में दखलदांजी व दस्तांदाजी करने सं हमेशा के वास्ते गैरसायलान व उनके वारिसान नौकर, चाकर, हाल, एजैन्ट, मशीनरी के प्रयोग को रोका जावे। प्रार्थना-पत्र में गैरसायलान संख्या 08 व 09 जो सरकारी नुमायदे है। अतः वाद पत्र पेश करने के पूर्व दो माह पूर्व धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस दिया जाना का प्रावधान है। चूंकि उक्त वादपत्र आवश्यक प्रकृति का होने का कारण बिना नोटिस दिये ही यह उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। सरहद मौजा ग्राम रास में खसरा संख्या 1489/2 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 1489/1 व खसरा संख्या 1489/3 रकबा 0-4 बीघा 17 बिस्वा व 0-13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। जिसका वादीगण रेकार्ड खातेदार काश्तकार है। अतः प्रथम दृष्टियां मामला वादीगण के हक में साबित है तथा मौके पर सायलान का कब्जा काश्त है तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है। यदि गैरसायलान द्वारा सायलान को बेदखल कर दिया गया एवं उसके कब्जे काश्त में पक्के तामीरात खड़े कर दिये गये तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकता है। मूल खसरा संख्या 1489 की तरमीम नहीं हो रखी है। अतः सायलान को कब्जे काश्त की कृषि भूमि तरमीम कर बंटवाड़ा किया जावें व गैरसायलान को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा दखलदांजी व दस्तादांजी करने से हमेशा के वास्ते रोका जावें तथा दावे के निर्णय अन्तरिम अस्थाई पुख्ता की जावें व सायलान के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जावें तथा गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें। अतः प्रार्थन-पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात् पेश कर निवेदन हैं कि सायलान के पक्ष में व गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश फरमावें।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतू अनेकानेक एवं अंतिम से अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निष्कर्ष निम्न है:-

(01) प्रथम दृष्टया मामला :- प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से यह जाहिर कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का कानूनन बाई[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 13:05:14 IST
Reason: SelfAttested

वाद प्रस्तुत किया है तथा ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1489/2 रकबा 05-07 बीघा का वादी/प्रार्थी चौथाराम एवं खसरा संख्या 1489/1 रकबा 04-17 बीघा और खसरा संख्या 1489/3 रकबा 0-13 बीघा का वादीया/प्रार्थिया छोटी देवी एक मात्र खातेदार है। जब प्रार्थीगण वादगण आराजी के एकमेव खातेदार है, तो कानूनन बंटवाड़ा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो जाता है, अतः स्पष्ट है कि प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए है और ऐसी दशा में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम-दृष्ट्यां मामला साबित नहीं होनें का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः यह बिंदू प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

(02) सुविधा का संतुलन :- प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित हो चुका है तथा एकमात्र खातेदार द्वारा विभाजन का दावा किया जाना विधिसंगत नहीं है, अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्यां मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित हुए है, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थीगण के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार से अपूर्णनीय क्षति होनें की पूर्ण आशंका है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 17/11/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.12.03 13:05:14 IST
Reason: SelfAttested